हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2016 की तृतीय नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को दोपहर 12:00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति

2– श्रीमती पुष्पा चौधरी, संयुक्त सचिव(शिक्षा)

5– आचार्य एम0एस0 चौहान, अधिष्ठाता भौतिक विज्ञान संकाय

6– आचार्य हिम चटर्जी, अधिष्ठाता प्रदर्शन एवं दृश्य कलाएं संकाय

8– आचार्य वाई0के0 शर्मा, प्रतिनिधि शैक्षणिक परिषद्

6– आचार्य जे0बी0 नड्डा

9– श्री चन्द्र शेखर, नामिती राज्य सरकार

10–श्रीमती राज कुमारी, प्रतिनिधि गैर–शिक्षक कर्मचारी

11–श्री हरीश जनारथा, नामिति माननीय कुलाधिपति

12–डॉ0(श्रीमती) श्यामा जोशी, सह–आचार्य

13–श्री नन्द लाल वर्मा कुलसचिव
सदस्य–सचिव

<u>**मद संख्या:1:**</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् के सभी सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि दिनांक 22 जुलाई, 2016 को विश्वविद्यालय का 47वाँ स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, आचार्य देवव्रत जी मुख्य अतिथि रहे तथा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री
श्री वीरभद्र सिंह जी ने इस समारोह की अध्यक्षता की।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 23वां दीक्षांत समारोह दिनांक 20 अगस्त 2016 को विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री टी.एस.ठाकुर मुख्य अतिथि थे तथा उन्होंने अपना दीक्षांत उद्बोधन दिया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश एवं कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, आचार्य देवव्रत जी ने की। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष, न्यायमूर्ति श्री मंसूर अहमद मीर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए तथा इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री टी.एस.ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को एलएल.डी की मानद उपाधि तथा न्यायमूर्ति श्री भवानी सिंह, पूर्व न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय को पीएच.डी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उपाधि उन्हें उनके द्वारा विधि एवं न्याय के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दी गई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को भी सम्मानित किया गया।

उन्होंने सम्माननीय सदस्यों को यह भी सूचित किया कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बंगलूरू की एक टीम विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करने हेतु दिनांक 3–6 अक्तूबर, 2016 तक विश्वविद्यालय का दौरा करेगी।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईः–

- दिनांक 25–29 जुलाई, 2016 तक राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय संघ (Association of Commonwealth Universities) लन्दन, इंग्लैण्ड की परिषद तथा राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों का सम्मेलन जो कि आकरा, घाना में आयोजित किया गया था में भाग लिया।
- दिनांक 30 जुलाई, 2016 को यू.जी.सी.मानव संसाधन विकास केन्द्र में पुनश्चर्या कार्यक्रम में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- दिनांक 4 अगस्त 2016 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समुदाय ने हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमन्त्री स्वर्गीय डॉ.यशवंत सिंह परमार की 110वीं जयन्ती के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में उनकी आवक्ष प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
- दिनांक 10 अगस्त, 2016 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।
- दिनांक 10 अगस्त, 2016 को वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई।

- दिनांक 12 अगस्त, 2016 को राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान, शिमला में युवा उत्सव में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 15 अगस्त, 2016 को देश के 70वें स्वतन्त्रता दिवस के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी प्रातः 9:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में स्वतन्त्रता दिवस आयोजित किया गया तथा इस अवसर पर कारगिल युद्ध शहीद हवलदार, डोला राम के परिजनों को सम्मानित किया गया।

- दिनांक 19 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के उद्‌घाटन समारोह में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जी के साथ भाग लिया।

- दिनांक 26 अगस्त, 2016 को संस्कृत महाविद्यालय, सोलन में राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 28 अगस्त, 2016 को राजकीय महाविद्यालय, घुमारवीं, बिलासपुर में युवा उत्सव में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 29 अगस्त, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चण्डीगढ़ में आयोजित 7वें वेतन आयोग से सम्बन्धित समिति की बैठक में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

- दिनांक 5 सितम्बर, 2016 को 'षिक्षक दिवस' के अवसर पर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में सभी शिक्षकों को सम्बोधित किया।

- दिनांक 6 सितम्बर, 2016 को रूसा से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता की जिसमें प्रति–कुलपति, अधिष्ठाता अध्ययन, कुलसचिव, अधिष्ठाता नियोजन, परीक्षा नियन्त्रक एवं प्रभारी संगणक विभाग उपस्थित हए।

- दिनांक 7 सितम्बर, 2016 को हिमाचल प्रदेष विश्वविद्यालय के एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

- दिनांक 7 सितम्बर, 2016 को ही प्रधान सचिव, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार के कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा नवम्बर, 2015 में आयोजित प्रथम सत्र के परीक्षा परिणाम के सन्दर्भ में प्रकाशित विभिन्न विरोधात्मक टिप्पणियों और छात्रों में उत्पन्न हुई असन्तोष की भावना के दृष्टिगत निर्णय लिया गया। इस बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त मामले पर गठित समिति की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई तथा समिति की सिफारिषों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

- दिनांक 8 सितम्बर, 2016 को राजकीय महाविद्यालय, रामपुर बुशहर में एक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिया।

- दिनांक 9 सितम्बर, 2016 को गेयटी थियेटर में नशीली औषधियों के सेवन सम्बन्धी जगरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वी.सी. फारका जी थे।

- दिनांक 9 सितम्बर, 2016 को गेयटी थियेटर में ही भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा एक नाटक का मंचन किया गया जिसका शीर्षक था ''हो ही नहीं सकता'' में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।

- दिनांक 10 सितम्बर, 2016 को यू.जी.सी., मानव संसाधन विकास केन्द्र में पुनश्चर्या कार्यक्रम में समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- दिनांक 12 सितम्बर, 2016 को यू.जी.सी.मानव संसाधन विकास केन्द्र में पुनष्चर्या कार्यक्रम अनुसंधान शिक्षण पद्धति के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- दिनांक 13 सितम्बर, 2016 को 3–6 अक्तूबर, 2016 तक आने वाली नैक टीम से सम्बन्धित तैयारियों को लेकर नैक सलाहकार समिति के सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्ष किया।

- दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में व्याख्यान दिया।

- दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं के साथ नैक टीम से सम्बन्धित तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया।

- दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, संस्थानों के निदेशकों एवं अधिकारियों के साथ नैक टीम से सम्बन्धित तैयारियों को लेकर विचार विमर्ष किया।

- दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को यू.जी.सी.मानव संसाधन विकास केन्द्र में आई.टी.सी. में ई संसाधन एवं शिक्षण एवं शोध सम्बन्धी पुनश्चर्या कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में व्याख्यान दिया।
- दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को केन्द्रीय छात्र संघ के नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने कार्यवाहक कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>मद संख्या–2</u>: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 30–05–2016, 07–07–2016, 20–07–2016, तथा 21–07–2016 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठकों दिनांक 30–05–2016, 07–07–2016, 20–07–2016, तथा 21–07–2016 में लिए गए निर्णयों का निम्नलिखित संशोधन के साथ पुष्टिकरण किया:

“कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 21–07–2016 में लिए गए निर्णय में पृष्ठ–3 की पंक्ति–10 में शब्द **‘अभ्यार्थियों’** से पूर्व शब्द **“चयनित”** जोड़ने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

<u>मद संख्या–3:</u> कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 30–05–2016, 07–07–2016, 20–07–2016, तथा 21–07–2016 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण(संलग्नक–क, ख, ग,घ)।

......

कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 30–05–2016, 07–07–2016, 20–07–2016, तथा 21–07–2016 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–4:</u> कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

....

(i) विश्वविद्यालय अनुदान अयोग द्वारा शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय (चतुर्थ संशोधन)विनियम, 2016 जो भारत के राजपत्र भाग–3–सैक्सन–4 दिनांक 11–7–2016 में प्रकाशित हुआ है और जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ. 1–2/2016(पीएस/संशोधन) दिनांक 11–7–2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है **संलग्नक** के अनुरूप विश्वविद्यालय में अपनाने हेतु अधिसूचना संख्याः3–5/78–हि.प्र.वि.(सा0) दिनांक 4–8–2016 को अधिसूचित करने हेतु अनुमोदित किया।

(ii) न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश, भारतीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति भवानी सिंह सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय जम्मू–कश्मीर,

गुजरात एवं मध्यप्रदेश को विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय अधिनियम–20(1) के प्रावधान के अंतर्गत क्रमशः LL.D. तथा Ph.D. की मानद उपाधियां प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया।

(iii) शैक्षणिक सत्र 2016–2017 और आगे के लिए विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में **केन्द्रीय छात्र संघ** के चुनाव नामांकन आधार पर **संलग्नक** के अनुरूप आयोजित करवाने के लिए अपनाने हेतु अनुमोदित किया।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा नवम्बर, 2015 में आयोजित प्रथम सत्र के परीक्षा परिणााम के सन्दर्भ में गठित समिति की रिपोर्ट पर माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिलनांक 7–9–2016 को प्रधान सचिव शिक्षा के कक्ष में आयोजित बैठक में समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

1) हाल ही में घोषित प्रथम सत्र के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों को सत्रांत परीक्षा(ईएसई) तथा आन्तरिक मूल्यांकन (आई.ए.) में संयुक्त रूप से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उन्हें उतीर्ण घोषित किया जाये।

2)यह निर्णय केवल इसी उपरोक्त प्रथम सत्र के विद्यार्थियों के लिये लागू होगा तथा भविष्य में विद्यार्थियों को सत्रांत परीक्षा तथा आन्तरिक मूल्यांकन दोनों में अलग–अलग 35 प्रतिशत तथा संयुक्तरूप से 45 प्रतिशत अंक लेने पर ही उतीर्ण घोषित किया जाएगा।

3)उक्त निर्णय के अंतर्गत संशोधित परीक्षा परिणाम 17 सितम्बर, 2016 तक घोषित किया जाएगा।

4)मामले की गम्भीरता तथा शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता के दृष्टिगत यह भी निर्णय लिया गया कि इस निर्णय को माननीय कुलपति विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12–सी (7) के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग कर अनुमोदित किया।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या–5 : कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

....

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समय के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है ।

मद संख्या–6: विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा में कार्यरत प्रोग्रामर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने का प्रावधान करने का मामला कार्यकारिणी परिषद की अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा में कार्यरत प्रोग्रामरों की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट लिखने हेतु निम्नलिखित प्रावधान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कीः–

Designation	**Reporting Officer**	**Reviewing Officer**	**Accepting Officer**
Computer Programmer, Computer Centre Examination	System Analyst/ Incharge, Computer Centre, Examination Wing, as the case may be.	Controller of Examinations.	Vice-Chancellor

मद संख्या–7: विश्वविद्यालय में एकल पदों (Single Cadre Post) के लिए चयनित/भर्ती एवं पदोन्नति समिति का गठन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक व लिपिक वर्गों में अनुभाग अधिकारी व ऊपर के पदों के लिए बनाई गई भर्ती एवं पदोन्नति समिति को ही एकल पदों(वर्ग–I व II) के लिए व अनुभाग अधिकारी व निचले पदों के लिए बनाई गई भर्ती एवं पदोन्नति समिति को एकल पदों (वर्ग–III) के लिए भी समझने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–8: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिवेदन दिनांक 16.06.2016 जिसमें सेवानिवृति की आयु 60 से 65 वर्ष करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृति की आयु 60 से 65 वर्ष करने के मामले पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि शिक्षकों की सेवानिवृति की आयु सीमा में बढ़ौतरी करना प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, अतः कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृति की आयु 60 से 62 वर्ष करने के लिए सैद्धान्तिक रूप में स्वीकृति देने के उपरान्त मामले को प्रदेश सरकार से उठाने का निर्णय लिया।

मद संख्या–9: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विशेष सचिव(वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन(सी)–बी(7)–1/2009–लूज / दिनांक 22–4–2016 **(संलग्नक–क)** को विश्वविद्यालय में अपनाने बारे मामला।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विशेष सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन(सी)–बी(7)–1/2009–लूज दिनांक 22–4–2016 पर विस्तृत चर्चा की और पाया कि विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न विभागें से परीक्षक व विषय–विशेषज्ञ विभिन्न कार्यों से विश्वविद्यालय में आते हैं जो इतनी कम दरों पर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। अतः कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित साधारण टैक्सी रूपये 8–74 प्रति किलो मीटर की दर से वाहन/टैक्सियां किराये पर लेने बारे निर्णय को जारी रखने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–10: श्री रजनीश कुमार, कनिष्ठ सहायक के असाधारण अवकाश(बिना वेतन) को दिनांक 5.7.2016 से पंचम/अन्तिम वर्ष के लिए बढाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री रजनीश कुमार, कनिष्ठ सहायक के असाधारण अवकाश(बिना वेतन) को दिनांक 5.7.2016 से पंचम/अन्तिम वर्ष के लिए बढाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। परिषद् ने यह भी निर्णय कि श्री रजनीश कुमार, कनिष्ठ सहायक के असाधारण अवकाश (बिना वेतन) की अवधि में और बढ़ौतरी नहीं की जायेगी।

मद संख्या–11: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष गणित विषय के साथ स्नातक स्तर पर बी.ए. एव ंबी.एस.सी. उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उतीर्ण करने

वाले छात्रों को एम.ए./एम.एसीसी. की जगह केवल एम.एससी. की उपाधि प्रदान करने बारे विश्वविद्यालय के अध्यादेश 8.45 में संशोधन हेतु।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने बी.ए. एवं बी.एस.सी. उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उतीर्ण छात्रों को एम.ए./एम.एसीसी. के स्थान पर केवल एम. एससी. की उपाधि प्रदान हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेश 8.45 में निम्नलिखित संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान कीः

Ord.	**Existing**	**Proposed**
8.45	A candidtate passing the Master's degree examination in the subject of Mathematics or Statistics, after passing the B.A. examination, shall be awarded the M.A. degree; and a candidate passing the Mastr;s degree examination in any of these subject, passing the B.Sc. examination shall be awarded the M.Sc. degree.	A candidate passing the Master's degree examnation in the subject of Mathematics after passing the BA/B. Sc. examination at undergraduate level with Mathematics as one of the subject, shall be awarded the M.Sc. degree; OR A candidate passing the Master's degree examination in the subject of Statistics, after passing the B.A. examination, shall be awarded the M.A. degree; and a candidate passing the master's degree examination in the subject of Statistics after passing the B.Sc. examination shall be awarded the M.Sc. degree.

मद संख्या–12: शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05–07–2016 की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05–07–2016 की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या–13: शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2016 को मद संख्या–6 के अन्तर्गत लिया गया निर्णय कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एंव आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 25.02.2016 को हुई बैठक में मद संख्या–6 के अन्तर्गत एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी व परियोजना अधिकारी के पदनाम बारे की गई निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदित कियाः–

> "शैक्षणिक परिषद् ने विस्तारपूर्वक चर्चा की कि एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी व परियोजना अधिकारी के पदनाम को एक्ट–2(15) शिक्षक वर्ग की मान्यता प्रदान की जाती है बशर्ते उनकी नियुक्ति के समय उनके पास पद के अनुरूप शैक्षणिक याग्यता हो।"

मद संख्या–14: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष श्री संजीव कुमार रोल नम्बर–एम/ 12–903980 की सितम्बर, 2015 में बी.ए. द्वितीय वर्ष की आयोजित परीक्षा का परीक्षा परिणाम में विश्वविद्यालय अध्यादेश 6.73 के अनुरूप शुद्धिकरण कर घोषित करने हेतु मामला परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री संजीव कुमार रोल नम्बर–एम/12–903980 की सितम्बर, 2015 में बी.ए. द्वितीय वर्ष की संस्कृत कोर विषय के परीक्षा परिणाम को अध्यादेश 6.73 के अनुरूप शुद्धिकरण कर छात्र से बिना शुल्क लिये सितम्बर, 2016 में संस्कृत इलैक्टिव विषय में परीक्षा देने का विशेष अवसर प्रदान हेतु अनुमोदित किया।

मद संख्या–15: कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 30–5–2016 को आयोजित बैठक में गठित समिति की अनुशंसा कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 को सही रूप में लागू करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

कार्यकारिणी परिषद् ने सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुछ गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक न करने बारे जारी की गई अधिसूचना संख्या:3–51/2005–हि0प्र0वि0(सा0)खण्ड–2 दिनांक 19–3–2007 के बिन्दु–9 में भारतीय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधान के अंतर्गत मांगी गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तृतीय पक्ष को न देकर केवल सम्बन्धित कर्मचारी को ही प्रदान की जाये।

मद संख्या–16: विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014–2015 कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदन हेतु।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित कर विश्वविद्यालय कोर्ट के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन समयबद्ध तैयार करने के लिए जन सम्पर्क अधिकारी व सम्पादकीय बोर्ड के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।

मद संख्या–17: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के अन्तर्गत पीएच. डी. आयुर्वेद कोर्स चलाने सम्बन्धी अध्यादेश में संशोधन हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने आयुर्वेद संकाय के अंतर्गत पीएच.डी प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्तावित शैक्षणिक योग्यताएं, अवधि एवं मापदण्डों का अध्ययन करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों एवं अध्यादेश संशोधनों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि पीएच.डी आयुर्वेद में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अपने स्तर पर खुली प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा।

कुलपति महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय में एम.बी.बी.एस. में भी पीएच.डी कोर्स प्रारम्भ करने के लिए भी विश्वविद्यालय प्रयास करेगा।

मद संख्या–18: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न व्यवसायिक कोर्सों के अंतर्गत उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को अंक /श्रेणी सुधान हेतु विशेष अवसर

प्रदान किए जाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने छात्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों को मध्यनजर रखते हुए पूर्व में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर श्रेणी सुधार के लिए प्रदान किये गये विशेष अवसरों की तर्ज पर वर्ष, 1990 एवं उसके बाद बी.एड. व एम.एड. उपाधि प्राप्त छात्रों को नवीनतम पाठ्यक्रम के अंतर्गत रूपये 10,000/–प्रति वर्ष/समैस्टर शुल्क के साथ मार्च, 2017 एवं सितम्बर, 2017 में श्रेणी सुधार के लिए दो विशेष अवसर प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया।

मद संख्या–19: विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा संस्थागत परामर्श कार्य प्रारम्भ करने के लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.60 में प्रस्तावित प्रतिस्थापन कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को परामर्श कार्य प्रारम्भ करने लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा अध्यादेश 35.60 में प्रस्तावित निम्नलिखित प्रतिस्थापन को अनुमोदित कियाः–

Existing	**Proposed**
Ordinance 35.60 If as a result of the research of the teacher an invention made by him is to be patented or commercially, the royalty or payment received in lieu thereof shall be shared between teachers and the University in the ratio of two to one.	**Ordinance 35.60:** (i)If as a result of the research of the teacher an invention made by him is to be patented or commercially exploited, the patent shall vest in the University, and the royaty or payment received in lieu thereof shall be shared between teacher and the University in the ratio of two to one. (ii) if a teacher/other staff of the University receives a project or consultancy work through the University from an outside agency, whether Government or private, the remuneration received in lieu thereof shall be shared between the teacher/other staff and the University in the ratio of two to one.

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय शिक्षक द्वारा लिये गये परामर्श कार्य के कारण विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

<u>मद संख्या–20:</u> भर्ती एवं पदोन्नति समिति की अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए दिनांक 9–9–2016 अपराह्न 3:00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों की दिनांक 9–9–2016 को अपराह्न 3:00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–21:</u> कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष हि.प्र. विश्वविद्यालय में सृजित पीठों पर पीठाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु खोज समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे।

......

सभापति ने खोज समिति की सिफारिशों को परिषद में पढ़ कर सुनाया। सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं:–

<u>डा. दीन दयाल उपाध्याय पीठ</u>

i) आचार्य कमल मनोहर शर्मा

<u>डा. वाई.एस. परमार पीठ</u>

i) आचार्य लक्ष्मण सिंह ठाकुर

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से खोज समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

<u>मद संख्या:22</u> कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विज्ञापन संख्या 3/2011 दिनांक 21.10.2011 व विज्ञापन संख्याः भर्ती–1/2014 दिनांक 08.09.2014 के प्रत्युतर में आयोजित विभिन्न साक्षात्कारों में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे।

.....

सभापति ने विभिन्न चयन समितियों की सिफारिशें को परिषद् में पढ़ कर सुनाया। पदवार सिफारिशें निम्न प्रकार से हैः–

<u>विज्ञापन संख्या 3/2011 दिनांक 21.10.2011</u>

1. सहायक आचार्य, व्यवसायिक अध्ययन संस्थान (एम.टी.ए. विभाग), स्नातकोतर केन्द, हि.प्र.वि. शिमला–5

i) श्री नितिन

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) श्री जसविन्दर कुमार
ii) श्री अरूण सिंह ठाकुर

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

2. सहायक आचार्य, दृश्य कला विभाग (पेंटिग), स्नातकोतर केन्द, हि.प्र.वि. शिमला–5ः

i) डा. नन्द लाल

ii) <u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) श्री विकास चन्द्र
ii) डा. पवन कुमार

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

3. सहायक आचार्य, अंग्रेजी, विश्वविद्यालय विधि अध्ययन संस्थान, शिमला–4 (स्वयं पोषित निधि से)

i) डा. (श्रीमती) गीतांजलि थापर

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. (सुश्री/श्रीमती) विनीत कश्यप
ii) डा. अमित शर्मा

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

4. सहायक आचार्य, परफोर्मिंग आर्टस (इन्स्ट्रूमेंटल–सितार), स्नातकोतर केन्द हि.प्र.वि. शिमला–5

i) डा. मृत्युंजय शर्मा

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. जितेन्द्र प्रताप सिंह
ii) श्री विशाल

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

5. **सहायक आचार्य, परफोर्मिंग आर्टस (इन्स्ट्रूमेंटल–तबला), हि.प्र.वि. शिमला–5**

i) डा. राजीव शर्मा

<u>**प्रतीक्षा सूचीः**</u>

i) डा. शिवेन्द्र प्रताप त्रिपाठी
ii) डा. दिलीप कुमार शर्मा

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

6. **सहायक आचार्य, गणित विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5**

i) डा. मधु बाला ढडवाल पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह ढडवाल

<u>**प्रतीक्षा सूचीः**</u>

i) डा. राकेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

7. **सहायक आचार्य, गणित विभाग, हि.प्र.वि. सांध्यकालीन अध्ययन संस्थान, शिमला–1**

i) डा. मधु बाला ढडवाल पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह ढडवाल
ii) डा. राकेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द

<u>**प्रतीक्षा सूचीः**</u>

i) डा. राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री एस.के. शर्मा
ii) डा. अमित महाजन पुत्र श्री अरूण महाजन

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

8. **सहायक आचार्य, गणित विभाग, हि.प्र.वि. क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला**

i) डा. मधु बाला ढडवाल पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह ढडवाल

<u>**प्रतीक्षा सूचीः**</u>

i) डा. सुशील कुमार पुत्र श्री बी.डी.शर्मा
ii) डा. गिरीश कपूर पुत्र श्री सी.एल.कपूर
iii) डा. पुष्प लता पुत्री श्री बी.आर. शर्मा

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

9. **सहायक आचार्य, पर्यावरण अध्ययन, हि.प्र.वि. शिमला–5**

i) डा. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीवानन्द ठाकुर

<u>**प्रतीक्षा सूचीः**</u>

i) डा. राहुल भारद्वाज पुत्र श्री ज्ञान चन्द
ii) सुश्री शिवानी सूद पुत्री श्री ए.के.सूद
iii) डा. हरिन्दर सिंह बन्याल पुत्र श्री हरबंस सिंह बन्याल

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

10. सहायक आचार्य (विधि) विश्वविद्यालय विधि अध्ययन संस्थान, हि.प्र.वि. शिमला–5
(स्वयं पोषित निधि से)

i) डा. शिव कुमार डोगरा

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. विशाल गुलेरिया

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

11. सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, स्नातकोतर केन्द, हि.प्र.वि. शिमला–5

<u>सामान्य श्रेणी</u>

i) डा. दीप लता

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. कृष्णा मोहन
ii) डा. नेहा जैन

<u>अनुसूचित जाति</u>

i) डा. लता देवी

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. अश्वनी कुमार

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

12. सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग, स्नातकोतर केन्द, हि.प्र.वि. शिमला–5

i) डा. ऋतु अग्रवाल

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. आकांक्षा सूद
ii) डा. शैली गोपाल

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

13. सहायक आचार्य, कम्पयूटर एप्लीकेशन, यू.सी.बी.एस. शिमला–4

i) श्री सुनील मनकोटिया

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) श्री विक्रम कुमार

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

14. सहायक आचार्य, वाणिज्य प्रशासन (Business Administration), यू.सी.बी.एस. शिमला–4

i) डा. मोहिन्द्र सिंह

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. भावना भारद्वाज
ii) डा. संजीत शर्मा

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

15. सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, स्नातकोतर केन्द, हि.प्र.वि. शिमला–5

<u>सामान्य श्रेणी</u>

i) डा. शोभा रानी

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. अमित कुमार पांडे
ii) डा. शिप्रा श्रीवास्तव

<u>अनुसूचित जाति</u>

i) डा. नरेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. लीम चन्द
ii) डा. संजीव कुमार

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

16. सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, हि.प्र. वि. क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला

i) डा. वीरेन्द्र सिंह

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. आशु जेठी फुल
ii) डा. शालू

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

17. सहायक आचार्य, राजनीति विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि.शिमला–5

i) डा. आभा चौहान खिमटा
ii) डा. भावना शर्मा
iii) डा. मिनी पाठक डोगरा
iv)

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. जोगिन्द्र सिंह
ii) डा. मोहिन्द्र सिंह यादव
iii) डा. अर्चना
iv) डा. किरन कान्ता

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

18. सहायक आचार्य, राजनीति विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र. वि. शिमला–5

i) डा. आभा चौहान खिमटा
ii) डा. भावना शर्मा

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. मिनी पाठक डोगरा
ii) डा. जोगिन्द्र सिंह
iii) डा. मृदुला शारदा शर्मा
iv) डा. किरन कान्ता

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

19. सहायक आचार्य, राजनीति विभाग, हि.प्र. विश्वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन संस्थान, शिमला–1

i) डा. आभा चौहान खिमटा

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. मिनी पाठक डोगरा
ii) डा. जोगिन्द्र सिंह
iii) डा. मोहिन्द्र सिंह यादव
iv) डा. अर्चना

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

20. सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, हि.प्र. विश्वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन संस्थान, शिमला–1

i) डा. विवेक दांगी (Dr. Vivek Dangi)
ii) डा. शोभा मिश्रा

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. रूपाली सोना
ii) डा. राकेष कुमार दुबे

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

21. सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र. वि. शिमला–5

i) डा. शारदा देवी
ii) डा. अंकुश भारद्वाज

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) श्री अश्विनी कुमार
ii) डा. आनंद कुमार शर्मा

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

22. **सहायक आचार्य, सामाजिक कार्य विभाग (MSW) स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5**

i) सुश्री अनुपमा भारती

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) श्री प्रताप चन्द्र बेहरा

ii) श्री दिनेश शर्मा

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

<u>विज्ञापन संख्या भर्ती–1/2014 दिनांक 08.09.2014</u>

23. **सहायक आचार्य, आजीवन शिक्षा विभाग (अर्थशास्त्र), स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5**

i) डा. यशवन्त सिंह हारटा

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) श्री हीरा सिंह

ii) श्री सतपाल

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

24. **सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र. वि. शिमला–5**

i) श्री देव राज

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

25. **सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, हि.प्र. वि. सांध्यकालीन अध्ययन संस्थान, शिमला–1**

i) डा. आशुतोष कुमार

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. सुनीता

ii) डा. पूजा पुत्री श्री शिव नारायण

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

26. **सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5**

<u>सामान्य श्रेणी</u>

i) डा. भवानी सिंह

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. मंजु पुरी

<u>शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित (Reserved for PWD-LV,PD,OA,OAL)</u>

i) कुमारी पूनम चौहान

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) श्री विजय कुमार पुरी

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

27. **सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र. वि. शिमला–5**

i) डा. मंजु पुरी
ii) डा. अरबिन्द कुमार यादव
iii) डा. ऊषा रानी

प्रतीक्षा सूचीः

i) सुश्री/श्रीमती पूजा पुत्री श्री शिव नारायण
ii) डा. सुनीता पुत्री श्री अमर चन्द ठाकुर

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

28. **सहायक आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी (Environment Technology) स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि.शिमला–5**

i) डा. सावित्री पुत्री श्री देवी सिंह

प्रतीक्षा सूचीः

i) डा. नीलम कुमारी पुत्री श्री रिखी राम कौंडल
ii) डा. विनय कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

29. **सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र. वि. शिमला–5**

अनुसूचित जाति

i) श्री विकास सिंह पुत्र श्री इस्सू राम

प्रतीक्षा सूचीः

i) श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री रती राम
ii) सुश्री/श्रीमती जय किरण पुत्री श्री पूर्ण चन्द

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

30. **सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन संस्थान, हि.प्र. वि. शिमला–5**

i) डा. आभा चौहान खिमटा पुत्री श्री एल.आर. चौहान

प्रतीक्षा सूचीः

i) डा. योगराज पुत्र श्री कृष्ण लाल
ii) डा. वेद प्रकाश पुत्र श्री बेली राम

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

31. **सहायक आचार्य, विधि विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र. वि. शिमला–5**

सामान्य श्रेणी

i) डा. शालिनी कश्मीरिया पुत्री श्री के.बी. लाल

ii) डा. साशा चौहान पुत्री श्री एस.एस.चौहान

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) सुश्री/श्रीमती सुजाता बाली पुत्री श्री जी.एस.बाली

ii) सुश्री वीना कुमारी पुत्री श्री एस.एस. कटोच

<u>अनुसूचित जनजाति</u>

i) श्री अभिषेक सिंह नेगी पुत्र श्री महावीर सिंह नेगी

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

32. सहायक आचार्य, विधि विभाग, विश्वविद्यालय विधि अध्ययन संस्थान, शिमला–4 (स्वयं पोषित निधि से अनुबन्ध आधार पर)

<u>सामान्य वर्गः</u>

i) डा. शालिनी कश्मीरिया पुत्री श्री के.बी. लाल

ii) डा. साशा चौहान पुत्री श्री एस.एस.चौहान

iii) डा. संयोगिता पुत्री श्री टी. आर. रात्रा

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) सुश्री/श्रीमती ऋतिका राणा पुत्री श्री आर.के.राणा

ii) सुश्री/श्रीमती करूणा देवी पुत्री श्री एम.एल.झोबटा

iii) सुश्री/श्रीमती संगीता ठाकुर पुत्री श्री एम.आर.चौहान

iv) सुश्री/श्रीमती नमिता राणा पुत्री श्री पी.एस.राणा

<u>अनुसूचित जातिः</u>

i) सुश्री/श्रीमती सुमन विमल पुत्री श्री मुख्तियार चन्द

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) सुश्री/श्रीमती प्रोमिल दीवान पुत्री श्री डी.आर दीवान

ii) सुश्री/श्रीमती एकता कुमारी पुत्री श्री प्यार चन्द

<u>अन्य पिछड़ा वर्गः</u>

i) श्री विजय चौधरी पुत्र श्री आर.एस. चौधरी

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

33. सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5

<u>सामान्य वर्गः</u>

i) डा. अंजलि वर्मा पुत्री श्री दर्शन पाल वर्मा

ii) डा. विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश कुमार शर्मा

<u>प्रतीक्षा सूचीः</u>

i) डा. शशांक राय पुत्र श्री अवधेश नारायण राय

<u>अन्य पिछड़ा वर्ग</u>

i) सुश्री/श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री सूरत राम

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

34. **सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5**

i) सुश्री / श्रीमती सीमा चौधरी पुत्री श्री हरनाम चन्द

<u>**प्रतीक्षा सूचीः**</u>

i) डा. जगदीश चन्द पुत्र श्री जुण्डा राम

ii) डा.चन्द्र शेखर द्विवेदी पुत्र श्री दिनेष चन्द्र द्विवेदी

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

35. **सहायक आचार्य, सामाजिक कार्य, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5**

i) सुश्री / श्रीमती सोनम रोहटा

<u>**प्रतीक्षा सूचीः**</u>

i) डा. शिल्पा शुक्ला पुत्री श्री राजेश शुक्ला

ii) डा. राखी कपूर पुत्री श्री इन्द्र नाथ कपूर

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

36. **सहायक आचार्य, आई.एम.एस. हि.प्र.वि. शिमला–5**

<u>**सामान्य श्रेणीः**</u>

i) डा. भावना भारद्वाज पुत्री श्री श्रीकांत भारद्वाज

ii) डा. पुनीत भूषण पुत्र श्री ओंकार चन्द

iii) डा. नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री मोहन कृष्ण चौहान

<u>**अन्य पिछड़ा वर्ग**</u>

i) सुश्री / श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री श्री राज कुमार

<u>**प्रतीक्षा सूचीः**</u>

i) श्री राहुल धीमान पुत्र श्री सर्वजीत सिंह धीमान

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

कार्यकारिणी परिषद् ने विभिन्न चयन समितियों की उपरोक्त सिफारिशों को माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त महान्यायवादी, पूर्व महान्यायवादी, सहायक महान्यायवादी एवं उच्चतम न्यायालय में हि.प्र. विश्वविद्यालय के अधिकृत अधिवक्ता द्वारा प्रदान किए गए कानूनी परामर्श पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। उक्त सिफारिशें माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में लम्बित न्यायालय प्रकरण CWPIL No. 13/2016 शीर्षक Court on its own motion versus state of HP and Others प्रकरण के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।

......

यथा–स्थान मदें:

सम्माननीय सदस्य सर्वश्री हरीश जनारथा एवं चन्द्रशेखर ने कहा कि विश्वविद्यालय को पूर्व की भांति अपने स्तर पर एच.पी.पी.एम.टी. की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए मामला प्रदेश सरकार से उठाना चाहिए ताकि प्रदेश के बच्चों जो दूर–दराज के क्षेत्रों से सम्बन्ध रखते हैं को इसका लाभ मिल सके। इस पर माननीय कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर एच.पी.पी.एम.टी. की प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने के लिए मामला पुनः प्रदेश सरकार से उठायेगा।

कार्यकारिणी परिषद् ने आचार्य एल.आर. वर्मा, विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला जो वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में स्थानान्तर पर हैं के परिषद् को दिये गये अभ्यावेदन में उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 27–1–2016 को हुई बैठक में यथा–स्थान लिये गये निर्णयानुसार जिसमें क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला के दो शिक्षकों की सेवाओं को स्थायी रूप से विश्वविद्यालय में लेने का निर्णय था की तर्ज पर उन्हें भी स्थायी रूप से विश्वविद्यालय में विलय किया जाये। आचार्य एल. आर. वर्मा द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने आचार्य एल. आर. वर्मा को क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला से स्थाई तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में स्थानान्तर करने का निर्णय लिया। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला के लोक प्रशासन विभाग में यदि शिक्षक की आवश्यकता होगी तो वहां पद के सृजन हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष रखा जाये।

सदस्य श्री हरीश जनारथा ने श्री विकास सूद, हिमाचल प्रशासनिक सेवा द्वारा पीएच.डी पूर्ण करने हेतु निर्धारित सेवा अवधि में छूट प्रदान करने व पीएच.डी पंजीकरण के पुनर्जीवित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया। मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने उन अभ्यार्थियों जिनकी पीएच.डी पंजीकरण के उपरान्त निर्धारित 9 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है 3 वर्ष का अतिरिक्त समय अर्थात 12 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 50,000/–(रूपये पच्चास हजार केवल) शुल्क के साथ पीएच.डी. उपाधि पूर्ण करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मण्डी में बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एड. एवं पी.जी.डी.सी.ए. कोर्स में लगभग पिछले 15 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों द्वारा

दिए गए अभ्यावेदन पर इनकी सेवाओं के नियमितीकरण का मामला उठाया, जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने मामले के परीक्षण हेतु निम्नलिखित समिति के गठन का निर्णय लियाः–

1– अधिष्ठाता अध्ययन	–अध्यक्ष
2– अधिष्ठात महाविद्यालय विकास परिषद्	–सदस्य
3– श्री चन्द्र शेखर	–सदस्य
4– सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)	–सदस्य–सचिव

माननीय कुलपति महोदय ने बहु–संकाय-II भवन के निर्माण के निर्माण कार्य का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और कहा कि इस भवन का भूमि–शीर्षक (Land title) विश्वविद्यालय के नाम न होने से इस भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने में समस्या हो रही है। मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि बहु–संकाय-II भवन के अधूरे पड़े निर्माण करने को पूर्ण करने के लिए अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) इस भवन के निर्माण हेतु गठित समिति की सिफारिशों जिसे मद संख्या–3 के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 30–3–2016 को हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया था के अनुरूप मामले में आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आगामी कार्रवाई अमल में लाये। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय सम्पदा कार्यालय उक्त भवन का भूमि शीर्षक विश्वविद्यालय के नाम करवाने के लिए मामला जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार के साथ यथाशीघ्र उठाये।

सदस्य आचार्य जे.बी. नड्डा व राज कुमारी शर्मा ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों तथा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में लेकर उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने यह निर्णय लिया कि मामले का प्रशासनिक स्तर पर परीक्षण कर इसे पूर्ण तथ्यों के साथ कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा जाये।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

हस्ता0/–
(नन्द लाल वर्मा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –
(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
सभापति / कुलपति

....